रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042020-218983
CG-DL-E-01042020-218983

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2020/चैत्र 11, 1942
No. 82] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2020/CHAITRA 11, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2020

फा. सं. 2(2)/2018-एसपीएस.—भारत सरकार एतद्द्वारा 'जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास स्कीम (आईडीएस), 2017' शीर्षक वाली दिनांक 23 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना सं. 2(2)/2018-एसपीएस, दिनांक 01.01.2019 की अधिसूचना सं. 2(2)/2018-एसपीएस और दिनांक 23.12.2019 की अधिसूचना सं. 2(2)/2018-एसपीएस में निम्नलिखित संशोधन करती है:

क. दिनांक 23.04.2018 की अधिसूचना सं.2(2)/2018-एसपीएस के खंड–3 को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"यह स्कीम 15.06.2017 से 31.03.2021 तक अथवा इस आदेश के अधिक्रमण में जारी अन्य आदेश के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट तारीख तक लागू रहेगी।"

ख. दिनांक 23.04.2018 की अधिसूचना सं.2(2)/2018-एसपीएस के खंड–5 में, खंड-5(छ) को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

'नई औद्योगिक इकाई का आशय ऐसी औद्योगिक इकाई से है जो डीपीआईआईटी के पोर्टल पर 15 जून, 2017 को अथवा उसके पश्चात लेकिन 31.3.2021 तक पंजीकरण के लिए आवेदन करती है, और जिसमें 15.06.2017 के पश्चात औद्योगिक उत्पादन शुरू कर दिया है, और जो स्कीम के खंड-5(ज) में यथाविनिर्दिष्ट 'मौजूदा इकाई' नहीं है अथवा ऐसी 'मौजूदा इकाई' जो स्कीम के खंड-5(झ) में यथाविनिर्दिष्ट 'महत्वपूर्ण विस्तार' कर रही है।

ग. दिनांक 23.04.2018 की अधिसूचना सं.2(2)/2018-एसपीएस के **खंड–7 में, खंड-7.5** को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"किसी औद्योगिक इकाई को इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए 31.03.2021 तक डीपीआईआईटी पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी और यह इस आदेश के अधिक्रमण में जारी अन्य आदेश के अनुसार 'नई इकाई' और 'महत्वपूर्ण विस्तार करने वाली मौजूदा इकाई' सहित औद्योगिक इकाइयों की किसी श्रेणी या वर्ग के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख में कमी या विस्तार के अधीन होगा।

वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन पंजीकरण प्रदान करने की तारीख से 36 माह के भीतर अवश्य शुरू करना होगा। एमएनआरई में यथानिर्धारित अतिरिक्त समय के अधीन जल विद्युत संयंत्र पंजीकरण प्रदान करने के 48 माह के भीतर उत्पादन/संचालन शुरू करेंगे।"

'जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए आईडीएस, 2017 पर पूर्व की अधिसूचनाओं को ऊपर उल्लिखित सीमा तक संशोधित किया जाता है।

राजेन्द्र रत्नू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2020

F. No. 2(2)/2018-SPS.—The Government of India hereby makes the following amendments to the Notification No. 2(2)/2018-SPS dated 23.04.2018, Notification No. 2(2)/2018-SPS dated 01.01.2019, and Notification No. 2(2)/2018-SPS dated 23.12.2019 titled Industrial Development Scheme (IDS), 2017 for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and the Union Territory of Ladakh:

A. The **Clause 3 of the Notification No. 2(2)/2018-SPS dated 23.04.2018** shall be replaced with the following clause:

"The Scheme will be effective from 15.06.2017 upto 31.03.2021, or upto such date as specified under any order issued in suppression of this order."

B. In **Clause 5 of the Notification No. 2(2)/2018-SPS dated 23.04.2018, Clause 5(g)** shall be replaced with the clause:

'New Industrial Unit means an industrial unit which applies for registration on the DPIIT portal on or after 15th day of June, 2017 but not later than 31.03.2021, and has commenced commercial production after 15.06.2017, and is not an 'Existing Unit' as defined in clause 5(h) of the scheme, or an 'Existing Unit' undertaking 'substantial expansion' as defined in clause 5(i) of the scheme."

C. In **Clause 7 of the Notification No. 2(2)/2018-SPS dated 23.04.2018, Clause 7.5** shall be replaced with the clause

"An Industrial Unit shall be allowed to apply for registration with the DPIIT portal upto 31.03.2021 for availing benefits under this scheme, subject to reduction, or extension of last date of registration, for any category or class of industrial units, including 'new units' and 'existing units undertaking substantial expansion', pursuant to any order issued in suppression of this order.

Commercial production/operation must commence within 36 months of the date of grant of registration. Hydro-power plants, subject to additional time as stipulated in MNRE, shall commence production/operation within 48 months of grant of registration."

Earlier notifications on IDS, 2017 for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and the Union Territory of Ladakh are modified to the extent indicated above.

RAJENDRA RATNOO, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2020.04.01 00:44:33 +05'30'